

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./०८/डी- ११२२

दिनांक:- २४. ९. ०८

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 49 वीं बैठक दिनांक: 19.09.08 को अपराह्न 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं नं.	जो. संख्या	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		49:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 48वीं बैठक दिनांक: 22.08.08 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 48वीं बैठक दिनांक: 22.08.08 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	5	49:2	श्री रामचन्द्र शर्मा एवं श्री गिराज प्रसाद यादव की ग्राम सुशीलपुरा सोडाला तहसील जयपुर (अजमेर रोड पर अमानीशाह नाले की पुलिया की चौडाई बढ़ाने बाबत) अवाप्त की गई भूमि पर निर्मित दुकान के विरुद्ध पूर्व में दिये गये मुआवजे राशि व व्यावसायिक भूखण्ड के अतिरिक्त मा. जविप्रा अपीलीय अधिकरण के निर्णयानुसार चित्रकूट योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 62 क्षेत्रफल 13. 5वर्गमीटर का आवंटन किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	9	49:3	श्री राम आदर्श विद्यालय समिति को अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार महल योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
4.	9	49:4	भूखण्ड संख्या डी-301 जी, महल योजना का बढ़े हुये क्षेत्रफल को आवंटन करने की स्वीकृति बाबत।	आवेदक को बढ़े हुये क्षेत्रफल का आवंटन आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

विवा
न्ति• आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5.	1	49:4(1)	श्री प्रकाश चन्द गोयल पुत्र स्व. श्री करोड़ी लाल गोयल को खसरा नं. 19/207 ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर की अवाप्तशुदा भूमि में आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।	भूमि आवंटन नहीं करने का निर्णय लिया गया।
6.	1	49:4(2)	मैसर्स रघुराज प्रा. लि. जरिये श्री एस.के.गोलछा के भूखण्ड संख्या सी-1 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, के स्वामित्व का निस्तारण एवं इससे लगती हुई 282 वर्गगज अतिरिक्त भू-पट्टी के आवंटन के संबंध में।	प्रकरण समस्त तथ्यों सहित राज्य सरकार को निर्णयार्थ भिजवाया जावे।
7.	12	49:4(3)	सरस्वती शिशु निकेतन शिक्षण समिति, एस-6, मनु पथ, शास्त्री नगर, जयपुर को ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नं. 1402 क्षेत्रफल 2बीघा 10बिस्वा में से 6000वर्गगज भूमि आवंटन बाबत।	आवेदक संस्था को 4000 वर्गगज भूमि का आवंटन भू-उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर करने का निर्णय लिया गया।
8.	3	49:4(4)	लालकोठी योजना के भूखण्ड संख्या सी-105 में बढ़े हुए क्षेत्रफल 90.44 वर्गगज तत्कालीन दर पर दिये जाने पर आयुक्त महोदय द्वारा दी गई कार्योत्तर स्वीकृति की पुष्टि करवाये जाने बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण की कार्यात्तर स्वीकृति की पुष्टि की गई।
9.	10	49:4(5)	अजमेर रोड की मुख्य सड़क पर ग्राम मदरामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 25/1 की नीलामी हेतु आरक्षित भूमि से हटाये गये अतिक्रमण के कारण विस्थापित श्री गणेश कामथ को प्राधिकरण की योजना पालडीमीणा में आवास संख्या एफ-56, एल.पी.सी. के निर्णय दिनांक 24.3.08 अनुसार किया गया था। यह आवास पहले से जोन-2 द्वारा श्री अनवर पुत्र श्री ईदू खाँ को बापू नगर कच्ची बस्ती, विधाधर नगर से विस्थापित परिवार को आवंटन कर दिया गया था। इस कारण अब श्री गणेश कामथ को	आवेदक को प्रस्तावानुसार आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

विना
ग्रामी. आयुक्त (एल.पी.सी.)
ग्राम विकास प्राधिकरण, जयपुर

			आवास संख्या एफ-56, पालड़ी मीणा के स्थान पर आवास संख्या 334 ऋषि गालव नगर का आवंटन करना है।	
10.	12	49:4(6)	राणा राजपूत सेवा समिति को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर में ख.न. 55/1 रकबा 20 बीघा में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	आवेदक संस्था को 2500 वर्गगज भूमि का संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
11.	5	49:4(7)	स्वेज फार्म में जयपुर विद्युत वितरण निगम को ज्योतिबा फुले कॉलेज मार्ग पर 1000व.मी. भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
12.	9	49:4(8)	दिग्म्बर जैन महा समिति महिला अंचल राजस्थान को भूमि आवंटन पर के सम्बन्ध में।	आवेदक संस्था को प्रस्तावित भूमि के स्थान पर जोन में अन्यत्र उपलब्ध भूमि चिन्हित कर 2000 व.मी. भूमि आवंटन का संस्थानिक आरक्षित दर पर करने का निर्णय लिया गया।
13.	1	49:4(9)	अपभ्रंश साहित्य अकादमी, जयपुर को मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 5 व 6 का आवंटन करने हेतु।	प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
14.	12	49:4(10)	राजपुरोहित छात्रावास विकास समिति, जोधपुर को छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रस्तावित भूमि में से 2500 वर्गमीटर भूमि का संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
15.	12	49:4(11)	राजस्थान यूनानी मेडीकल कॉलेज एवम् हॉस्पिटल को भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण स्थगित किया गया।
16.	7	49:4(12)	अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नीलकंठ कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की भूमि 690.58 वर्गगज को 33 के.वी. सब-स्टेशन स्थापित करने हेतु आवंटन बाबत।	उपलब्ध भूमि 690.58 वर्गगज संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
17.	9	49:4(13)	हुसैन बन्धु म्यूजिक अकादमी को भूमि आवंटन के संबंध में।	संस्था को 1500 वर्गगज भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

विना
प्रायुक्ति (एल.वी.सी.)
मपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

18.	11	49:4(14)	सरोकार संस्थान जयपुर को भूमि आवंटन बाबत।	सरोकार संस्थान को 2500 वर्गमीटर भूमि नियमित महाविद्यालय हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
19.	11	49:4(15)	श्री महावीर दिग्म्बर जैन शिक्षा परिषद को महिला महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर ग्राम शिवदासपुरा तहसील सांगानेर में खसरा नं. 943 रकबा 1.78 हैक्टेयर आवंटन का निर्णय लिया गया।
20.	12	49:4(16)	श्री बागडा ब्राह्मण समाज संगठन समिति जयपुर (राज.) को भूमि आवंटन के संबंध में।	एल.पी.सी. की 48 वीं बैठक में आवेदक संस्था हेतु वाछित उद्देश्य के लिए 4000 वर्गगज भूमि आरक्षित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तावानुसार इसी आरक्षित भूमि को संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
21.	8	49:4(17)	नोबल नेशनल पब्लिक स्कूल समिति जयपुर 261, श्री गोपाल नगर, 80 फीट आश्रम एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	आवेदक संस्था को 3000 वर्गगज भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
22.	10	49:4(18)	श्री लक्ष्मी शिक्षा समिति को ग्राम भावगढ़ बन्धा तहसील सांगानेर में 5000वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने बाबत।	पूर्व एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 22.8.08 में आवेदक समिति के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि भू-उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा में आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया था। अतः यह भूमि समिति को संस्थानिक आरक्षित दर पर भू-उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23.	12	49:4(19)	श्री हरीराम साबू पब्लिक स्कूल को स्वप्न लोक आवासीय योजना के पास भूमि आवंटन करने बाबत।	आवेदक संस्था की रजिस्ट्रेशन अवधि 3 वर्ष पूर्ण नहीं होने के कारण राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया गया था। अतः राज्य सरकार से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रस्तावानुसार भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
24.	12	49:4(20)	जयपुर के कुम्हारों (प्रजापतियों) को उनके पैत्रिक उद्योग धन्धों मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जयपुर शहर के बाहर भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावित भूमि पर वन विभाग द्वारा सामाजिक बानिकी योजनान्तर्गत वृक्षारोपण किया हुआ है। सामाजिक बानिकी के अलावा इस प्रस्तावित स्थल ग्राम बैनाड़ मय दोलतपुरा तहसील आमेर खसरा नं. 389 पर जो लगभग 10बीघा भूमि रोप रहती है उस पर कुम्हार समाज को भू

निम्न
प्राप्ति

प्राप्ति दस्तावेज़ (एल.पी.सी.)
राज्य सरकार प्रशिक्षण विभाग, जयपुर

			उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा में भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।
25.	9	49:4(21)	श्री दिग्म्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान को भूमि आवंटन बाबत। प्रस्तावानुसार ग्राम जयसिंहपुराबास जीरोता तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 327 रकबा 4.67 हैक्टेयर में से 8000 वर्गांज भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
26.	9	49:4(22)	श्री सैन नवयुवक संगठन समिति, जयपुर को भूमि आवंटन के संबंध में। प्रस्तावानुसार श्री सैन नवयुवक संगठन समिति को 2500 वर्गमीटर भूमि महिला/बालिका छात्रावास हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
27.			B.R.T.S. के बस टर्मिनल हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर भूमि आवंटन करने बाबत। J.C.T.S.L. कम्पनी को B.R.T.S. के लिए भूमि का चिन्हीकरण कर भूमि आवंटन करने बाबत प्रस्तावानुसार ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 762 व 763 रकबा 30.09 हैक्टेयर में से 3 एकड़ भूमि लगभग 4.16 हैक्टेयर भूमि बस टर्मिनल के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। 2. ग्राम नीदड़ तहसील आमेर के खसरा नम्बर 3396 रकबा 7 बीघा भूमि का उपायुक्त द्वारा पीटी सर्वे करवाकर अति. क्रमण से शेष उपलब्ध भूमि J.C.T.S.L. कम्पनी के लिए B.R.T.S. हेतु भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। 3. ग्राम बगराना तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 544 व 545 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि भू उपयोग उपान्तरण की प्रत्याशा में J.C.T.S.L. कम्पनी को B.R.T.S. बसों की पार्किंग टर्मिनल हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। 4. ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 1203 रकबा 1.83 हैक्टेयर

निवा
० आमुक्त (एल.पी.सी.)
पार्किंग विकास प्राधिकरण, जयपुर

(122)

6/8

		(4.52 एकड़ि) भूमि J.C.T.S.L. कम्पनी को B.R.T.S. बस टर्मिनल के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
--	--	--

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

विम
दर्शक संघर्ष सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर^{एवं}
आतंरिकत आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, जविप्रा, जयपुर
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं विधायक (जौहरी बाजार), जयपुर।
- 3- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 4- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
- 5- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
- 6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
- 7- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
- 8- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
- 9- प्रो० बीरु सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
- 11- श्री नवरत्न राजौरिया, विधायक, सांभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर
- 15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 20- निदेशक(वित्त/अभियोजना), जविप्रा, जयपुर

(123)

7/8

- 21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
- 22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
- 23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 25- रक्षित पत्रावली

विष्णु
 #१० ग्रामदुर्ग सचिव.पी.सी.)
 जयपुर विकास प्रशिकरण, जयपुर
 अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

१२५

परिशिष्ट-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ८ ८

उपस्थिति-पत्रक

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 48वीं बैठक दिनांक 19.09.08 में उपस्थित रहे। जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अशोक जैन, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, मा.विधायक	सदस्य
4.	श्री श्रीराम मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
5.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6.	श्री कोमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
7.	श्री हरिशंकर भारद्वाज, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
8.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
9.	श्रीमति दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि)	सदस्य
10.	श्री विमल कुमार जैन, अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
11.	श्री आकाश तोमर, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमन्त्रित
13.	श्रीमति दिप्ती कच्छावा, उपायुक्त जोन-3	विशेष आमन्त्रित
14.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमन्त्रित
15.	श्री बी.डी.कुमावत, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमन्त्रित
16.	श्री डी.आर.सैनी, उपायुक्त जोन-10	विशेष आमन्त्रित
17.	श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमन्त्रित
18.	श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमन्त्रित
19.	श्री एम.एल.गुप्ता, अति.निदेशक (भूमि एवं राजस्व)	विशेष आमन्त्रित
20.	श्री प्रभात गोस्वामी, विशेषाधिकारी (पी.आर.)	विशेष आमन्त्रित